Government of India (Bharat Sarkar) Ministry of Railways (Rail Mantralaya) (Railway Board)

No.2017/TG-I/20/P/17/P.Handicapped

New Delhi, dated 14.07.2017

Chief Commercial Managers,	Managing Director,
1 1 11 2 Olion Leonari Gran	CRIS, Chanakyapuri,
	New Delhi.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 53 OF 2017)

Sub: Earmarking of reservation quota for Persons with disabilities in 3AC classes.

Please refer to this office letter of even number dated 22.06.2017 wherein instructions were issued regarding earmarking of reservation quota of two berths in 3AC class for persons with disabilities (lower berth for handicapped person and middle berth for their escort) in all long distance mail/express trains where persons with disabilities have been extended the facility to book reserved tickets on concession. There will, however, no change in case of Garib Rath Express trains, where four berths in SLRD are earmarked for physically handicapped persons despite non-availability of any concession.

- 2. Zonal railways will define these berths in the system as per ARP or no booking date whichever is earlier.
- 3. It is requested that these instructions may be implemented with immediate effect. Wide publicity about this facility should be given through all possible means.
- 4. Necessary instructions may be issued accordingly to all concerned

Varin

(Vikram Singh) Director Passenger Marketing Railway Board

-21,

Copy to:

CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways. 1.

EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board. 2.

GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 3.

GM/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi. 4.

Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara. 5.

The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.

Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar,

Lucknow-2260011.

General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New 8.

General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi. 9.

Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.

Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail 11.

Bhawan, New Delhi.

Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi. 12.

CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71. 13.

MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, 14. Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार/Government of India रेल मंत्रालय/Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं.2017/टीजी-।/20/पी/17/पी. हैंडिकैप्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14.07.2017

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,	TETTA\$ TAC
मुख्य पाणाव्ययम् प्रवययम्,	महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें	क्रिस, चाणक्यपुरी,
	नई दिल्ली।

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.53)

विषय: 3एसी श्रेणियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण कोटे का निर्धारण।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 22.06.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसमें लंबी दूरी वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ, जिनमें दिव्यांगों को रियायत पर आरक्षित टिकट बुक करने की सुविधा दी गई है, में दिव्यांगों के लिए 3 एसी श्रेणी में दो बर्थों के आरक्षण कोटा (निचली बर्थ दिव्यांगों के लिए और बीच की बर्थ उनके सहचर के लिए) के संदर्भ में अनुदेश जारी किए गए थे। बहरहाल, गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहाँ रियायत की अनुपलब्धता के बावजूद एसएलआरडी में चार बर्थ दिव्यांगों के लिए निर्धारित हैं।

- 2. क्षेत्रीय रेलें सिस्टम में इन बर्थों को एआरपी अथवा नो बुकिंग दिनांक, जो भी पहले हो, के अनुसार परिभाषित करेंगी।
- 3. यह अनुरोध है कि इन अनुदेशों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए। इस सुविधा का सभी संभव माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाए।
- सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

3

(विक्रम सिंह) निदेशक यातायात विपणन रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता (टी), निदेशक एफ (सी), वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं ।
- 3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
- 4. महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यप्री, नई दिल्ली।
- 5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
- 6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली,धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
- 8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।
- 9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
- 14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.
